झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–06/2022) हेतु अभिलेख सत्यापन के संबंध में आवश्यक अनुदेश।

1. वैसे अभ्यर्थी, जो पूर्व में दिनांक–10.07.2023 को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में दिनांक–18.07.2023 से दिनांक–01.08.2023 को आयोजित अभिलेख सत्यापन हेतु किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके थे, वैसे अभ्यर्थियों को भी एक अवसर देते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो उक्त तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित थे, उन्हें पुनः आने की आवश्यकता नहीं है।

2. अभ्यर्थी बुलावा पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वाहन–10:00 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक–16.04.2025 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नं0–919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाहन्–11:00 बजे से अपराहन्–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(ii) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सहित)।
(iii) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री यथा– एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र
(iv) संबंधित विषय में समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा डी0एम0, एम0सी0एच0 प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(v) संबंधित स्पेशलिटी में पी0एच0डी0 प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(vi) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त (Recognized/Permitted) चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषयों में 03 (तीन) वर्षों का जूनियर रेजिडेन्ट एवं 01 (एक) वर्ष का सीनियर रेजिडेन्ट संबंधी प्रमाण पत्र।
(vii) डी0एन0बी अभ्यर्थियों को 03 वर्ष का शिक्षण अनुभव रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/टयूटर के रूप में या डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए गए कार्य अनुभव संबंधी किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
(viii) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र जो नियंत्री पदाधिकारी स्तर से निर्गत हो।
(ix) जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में संबंधित विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ जर्नल्स की प्रति।
(x) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(xi) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकंलागता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(xii) अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(xiii) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।
(xiv) पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस)

नोटः– अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I, पिछड़ा वर्ग–II, EWS कोटि में आरक्षण का लाभ हेतु विज्ञापन की कंडिका–9 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कृ0पृ0उ0

5. अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यक्रम जो आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है उसके आलोक में अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।

6. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

ह0/—
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।